

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0:-1/एम0-1-1019/2018.....22


/पटना, दिनांक-08.06.2026

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत निविदा से संबंधित निविदाकारों से प्राप्त सभी प्रकार के अभ्यावेदनों/परिवादों के अनुश्रवण/निस्तारण हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं0-03-सह-पठित ज्ञापांक-36, दिनांक-17.01.2025 द्वारा विभागीय "शिकायत निवारण कोषांग" का गठन किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय "शिकायत निवारण कोषांग" का अध्यक्ष एवं मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

2. विभागीय कार्यालय आदेश सं0-03-सह-पठित ज्ञापांक-36, दिनांक-17.01.2025 की शेष भाग यथावत् रहेगा।


3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(अरविन्द कुमार)  
अपर सचिव


ज्ञापांक-1/एम0-1-1019/2018.....334 पटना, दिनांक-08.06.2026

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी कोषांग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अरविन्द कुमार)  
अपर सचिव

ज्ञापांक-1/एम0-1-1019/2018.....334 पटना, दिनांक-08.06.2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अरविन्द कुमार)  
अपर सचिव